संख्या- 24/2016/2094/26-2-2016

प्रेषक,

मनोज सिंह,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांकः** 31 **अगस्त**, 2016

विषयः- समाजवादी पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को डाटा-बेस को उनके आधार संख्या एवं मोबाइल नम्बर से सीडिंग कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, **उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-**04/2016 /613/26-2-2016, **दिनांक** 04 **मार्च**, 2016 **एवं तदविषयक सचिव**, **ग्रामीण विकास मंत्रालय**, **नई दिल्ली**, **भारत सरकार के पत्रांक-जे**0 11011/4/2015-**एन0एस0ए0पी0**, **दिनांक** 19 **मई**, 2016 **द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम व समस्त प्रकार की पेंशन योजना के लाभार्थियों के डाटा-बेस को आधार संख्या व मोबाइल नम्बर से लिंक किये जाने हेतु ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में कैम्प कराकर समयबद्ध ढंग से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में निदेशक**, **समाज कल्याण**, **उ0प्र0 द्वारा भी अपने पत्र संख्या-**2327/**स0क0/एन0एस0ए0पी0/आधार सीडिंग/**2016-17, **दिनांक** 20 **अगस्त**, 2016 **द्वारा उक्त डाटा अपलोडिंग का कार्य दिनांक 15 सितम्बर, 2016 तक पूर्ण करने हेतु आपको विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।**

2- **इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना को उत्तर प्रदेश शासन तथा भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और इसकी समीक्षा शासन स्तर पर तथा मुख्य मंत्री कार्यालय स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है**, **अतः लाभार्थियों के डाटा-बेस को आधार संख्या व मोबाइल नम्बर से लिंक कराते हुये डाटा अपलोडिंग का कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।**

भवदीय,

मनोज सिंह

प्रमुख सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in